न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37/2017 (उदयपुर डिकी)

लालु पिता स्वर्गीय देवा जी भील, निवासी कात्यफला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभु पिता स्वर्गीय लखीया जी भील, निवासी कात्यफला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती हकरी पुत्री स्वर्गीय लखीया जी पत्नी शंकर भील, निवासी कात्यफला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती बैसुड़ी पुत्री स्वगीय लखीया जी पत्नी ऊंकार भील, निवासी कात्यफला, हाल बड़ी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. शंकर पिता कैला जी भील, निवासी वाड़ाफला, दमलिया मोहल्ला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 25.01.2017, प्र. सं. 27/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री अजयसिंह हाड़ा अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर आमेटा अभिभाषक रे.सं. 1 से 3

———:::———

निर्णय दिनांक

28–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत

कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की पैत्रृक कृषि भूमियां ग्राम अलसीगढ़ में स्थित हैं, जिनका विवरण वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' में किया गया है। परिशिष्ट ''अ'' की भूमियां वादी के काका स्वर्गीय थावरा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जो औलाद फोत होने से उसकी पत्नी नानी के नाम भूमियां दर्ज हुई। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ब'' की भूमियां थावरा के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज थी एवं उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी श्रीमती नानी के नाम दर्ज हुई तथा नानी बाई द्वारा वादी की सहायता से निरन्तर व निर्बाध रूप से उपयोग–उपयोग किया जा रहा है। वादी व उसके भाई स्वर्गीय रामा ने नानी की सेवा चाकरी की, जिसकी मृत्यु होने पर वादी व उसके भाई को उक्त भूमियां प्राप्त हुई। वादी गरीब होने से अपने भाई रामा की मृत्यु होने पर परिशिष्ट ''ब'' की भूमि में अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय किया गया तथा शेष 1/2 हिस्सा विरासत से वादी को प्राप्त हुआ, जिसका वादी उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता लखिया व काका जोगा जिनका वादी के परिवार से कोई संबंध नहीं है, ने धोखे से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर परिशिष्ट ''अ'' में अंकित भूमियों का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा परिशिष्ट ''ब'' में अंकित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा व शेष 2/3 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी का 3/4 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 4 के नाम अंकित है उसे निरस्त किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्लीडिंग्स के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 3 तनकियात कायम की जाकर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25–01–2017 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–04–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील क साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ग्रामीण अनपढ़ किसान होने से अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर दिनांक 26–04–2017 को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि दिनांक 25–01–2017 को वादी/अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में उक्त निर्णय पारित किया गया है, तद्नुसार उन्हें दिनांक 26–04–2017 को जानकारी का कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है, फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगण अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री चन्द्रशेखर आमेटा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में अभिलिखित अभिवचनों का अवलोकन नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अधिनस्थ न्यायालय के समय निवेदन किया गया था कि प्रस्तुत प्रदर्श 9 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का पारिवारिक सजरा अपीलान्ट के सजरे से मेल नहीं खाता तथा अपीलान्ट के सजरे एवं अन्य जमाबन्दो को देखने मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादीगण का परिशिष्ठ ''अ'' व ''ब'' में वर्णित भूमियों से दूर–दूर का कोई लेना देना नहीं है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त को जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गयी है, जिससे उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है। अपीलान्ट द्वारा

प्रस्तुत सजरा मिथ्या है एवं मनगढ़न्त है। अपीलान्ट का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 तक दूर–दूर से कोई रिश्ता नहीं है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट/वादी उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत यदि कोई कथन करता है तो उसे साबित कराने का उत्तरदायित्व स्वयं वादी का होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथा उपयपक्षों की बहस सुनकर डिक्री किया है तथा वादी को राजस्व रेकार्ड अनुसार 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–01–2017 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

लालु पिता स्वर्गीय देवा जी भील, निवासी कात्याफला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

प्रभू पिता स्वर्गीय लखिया जी भील, निवासी कात्याफला, अलसीगढ़, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....37 / 2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....25.....माह.....01..... 2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....28....माह.....06.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री अजयसिंह हाड़ा.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री चन्द्रशेखर आमेटा

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–01–2017 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....28.....माह.....06... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी क जरिये
दिलाया गया हो।